-: कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक विसबल (मुख्यालय) पु0मु0 भोपाल :-

:: विज्ञापन ::

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि : 05.04.2026	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि : 19.04.2026
ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 05.04.2026	ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 24.04.2026

परीक्षा शुल्क		
पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रू0 500/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ावर्ग/ ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिए । (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिए)	रू0 250/-
ऑनलाईन आवेदन :- एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 150/- +18% GST Extra देय होगा ।		

टिप्पणी:-

1. मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में पुलिस बैण्ड की स्थापना के संबंध में विभिन्न पुलिस इकाईयों में बैण्ड दल में सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने वाले पुरूष आरक्षक (बैण्ड) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जावेगी। आरक्षक (बैण्ड) के पदों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 05.04.2026 से 19.04.2026 तक आमंत्रित किये जाएंगे। उम्मीदवार केवल एमपी ऑनलाइन पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि दिनांक 19.04.2026 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक को शारीरिक नापतोल हेतु नियत तिथि पर समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नापतौल हेतु नियत दिनांक के उपरांत शारीरिक नापतौल नहीं किया जावेगा। उम्मीदवारों को शारीरिक नापतौल के लिए दिनांक एवं स्थान की सूचना ई-मेल, एसएमएस, व्हाट्सऐप के माध्यम से पृथक से दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी को आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदान पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ ई- आधार कार्ड/ आधार कार्ड की छायाप्रति/ आधार नंबर/ आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नही होगी।
6. ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है। अत: आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

आरक्षक (बैण्ड) के पद राज्य स्तरीय केडर का पद है। विभिन्न वर्गो के आरक्षण हेतु राज्य स्तरीय रोस्टर अनुसार विभिन्न वर्गो के पद निम्नानुसार है:-

आरक्षक (बैण्ड)	UR		SC	ST	OBC			EWS	TOTAL		
	27%	13% (काल्पनिक)	16%	20%	27%	14%	13% प्रावधिक	10%	87%	13%	100
Open	138	66	81	102	137	71	66	51	443	66	509
HG	28	13	16	20	28	15	13	10	89	13	102
Ex.Ser.	18	09	11	14	18	09	09	07	59	09	68
Total	**184**	**88**	**108**	**136**	**183**	**95**	**88**	**68**	**591**	**88**	**679**

- **उक्त पदों के लिए महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगीं।**

(2) परिभाषाएँ:-

I. "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण.

ii. "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्टि किया गया है.

iii. "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

iv. "अन्य पिछडे वर्ग से अभिप्रेत है राज्य सरकार व्दारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 व्दारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

v. "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार व्दारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र.एक दिनांक 02 जुलाई 2019 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)

vi. "विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है.

vii. "समिति" से अभिप्रेत है विसबल मुख्यालय व्दारा गठित की गई चयन समिति.

viii. "प्रथम चरण से अभिप्रेत है विसबल मुख्यालय द्वारा आयोजित स्किल टेस्ट.

ix. "व्दितीय चरण" से अभिप्रेत है-प्रथम चरण परीक्षा के बाद विसबल मुख्यालय व्दारा ली जाने वाली बैण्ड वादन परीक्षा.

x. "होमगार्ड सैनिक से अभिप्रेत है होमगार्ड गैर-कमीशन अधिकारी जिन्होंने इन पदों पर सक्रिय सेवा के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं.

xi. "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है निम्नलिखित श्रेणी के मध्यप्रदेश के अधिवासी (domicile) भूतपूर्व सैनिक आयु में छूट के लिए पात्र हैं परंतु सेना में सेवारत सैनिक को भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता, भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूरी हो रही हो ।

क. भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन सेवानिवृत हुए हैं (मास्टरिंग रियायतें);

ख. भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया है, और अल्पकालिक सेवा पूर्ण होने पर, उन्हें भर्ती की शर्तें पूरी करने पर कार्यमुक्त किया गया है.

ग. अधिकारी (सैनिक या नागरिक) जो अपने अनुबंध के पूरा होने पर सेवा सेवानिवृत हुए हैं (अल्पकालिक सेवा के नियमित कमीशन अधिकारियों सहित)

घ. अवकाश रिक्तियों पर 6 महीने से अधिक समय तक लगातार कार्य करने के सेवानिवृत होने वाले अधिकारी.

ड. असमर्थता के कारण सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक.

च. भूतपूर्व सैनिक जो इस आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं कि वे अब सक्षम सैनिक नहीं बन पाएंगे.

छ. गोली, घाव आदि के कारण चिकित्सा आधार पर सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक.

(3) सामान्य :-

i. अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.

ii. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो, उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा.

iii..अभ्यर्थी के पास दिनांक 19.04.2026 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यतः होने चाहिये.

क. आयु एवं उसमें छूट

ख. शिक्षा

ग. होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक

इनके साथ-साथ शेष अन्य सभी वांछित दस्तावेज शारीरिक परीक्षण के समय होने वाले दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करने होंगे.

iv. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय कर्मचारी है उन्हे आवेदन भरने की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व से देनी होगी। कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करनी होगी.

v. शासकीय/अर्ध-शासकीय या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अनुशासनिक आधार पर अयोग्य या सेवा से हटाए गए अभ्यर्थी भर्ती के लिये पात्र नहीं होगें.

vi. नियुक्ति आदेश में निर्धारित दिनांक को समय पर उपस्थित नहीं होने वाले चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची से हटा दिये जायेंगे और उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा. इस संबंध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र या अन्य आधार स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश व्दारा उपस्थित होने की तिथि से पहले विशेष रूप से अनुमति न दे दी जाए.

vii. म.प्र. शासन गृह पुलिस विभाग के परिपत्र क्र.एफ-2 (अ)/541/92/ब(4) /दो भोपाल दिनांक 04.04.1995 के व्दारा निःशक्तजनों से पुलिस विभाग को मुक्त रखा गया है।

viii. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2023, सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गो को शासकीय सेवा मे नियुक्ति के लिए प्राथमिता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक तंम्बर,1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को
02	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी
03	अतिशेष कर्मचारियों को
04	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी
05	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को
06	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र
07	बर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -

" उपरोक्त वर्गों के उम्मीदवारों को बैण्ड वादन परीक्षा में प्राप्तांक के 05 प्रतिशत अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगें।"

(4) पद का वेतनमान :

पदनाम	वेतनमान
आरक्षक (बैण्ड)	19500-62000

नोट :- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत व्दितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय होगा. दिये गये समस्त संवर्गों के वेतनमान के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी. म०प्र० शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ9/3/2003/नियम-4 दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ-9/डी/2003 नियम 4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

(5) पदों पर भर्ती:

i. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

ii. सभी पद तृतीय श्रेणी के हैं।

iii चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार, विभिन्न इकाईयों में आवंटन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

iv.जो अभ्यर्थी जिस इकाई मे नियुक्त किया जाएगा वहाँ उसे कम से कम 5वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई मे स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा.

v.चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नही दी जाएगी.

vi. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यधीन अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन व्दारा उसके पक्ष मे आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए.

vii. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई अधिवासी (domicile) नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 19.04.2026 को अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म.प्र. राज्य का स्थाई अधिवासी (domicile) प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

viii. स्वंय सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए.

(6) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताऐं:-

A. आरक्षक (बैण्ड) के लिए न्यूनतम अर्हता निम्नानुसार है:-

क्र0	पदनाम	अनारक्षित/अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता	अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता
1.	आरक्षक (बैण्ड)	मान्यता प्राप्त किसी मण्डल/संस्था से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10वी कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	8वी कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

B. शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं व्दारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा चयन के लिए पात्र समझती हो, समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार व्दारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो.

(7) निर्धारित आयु सीमा :

i. सामान्य

क. दिनांक 19.04.2026 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

ख. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र.3-8/2016/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2017 एवं संशोधित परिपत्र क्र.सी 3-14/2019 एक/3 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के अनुसार राज्य सरकार की वर्दीधारी सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए आयु- सीमा में अधिकतम छूट-

स0क्र0	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरूष	मध्यप्रदेश के अनारक्षित	33 वर्ष
2.	पुरूष	मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी	33 वर्ष
3.	पुरूष	अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थी	33 वर्ष
4.	पुरूष	आरक्षित श्रेणी (अनु0जाति/ अनुसूचित जनजाति/ एवं अन्य पिछड़ावर्ग) म0प्र0 के अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए	38 वर्ष
5.	पुरूष	शासकीय/ निगम/मण्डल/ स्वात्तव संस्थान के कर्मचारी और होमगार्ड (म0प्र0 के अधिवासी अभ्यर्थी)	38 वर्ष
6.	पुरूष	अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के अन्र्तजातीय विवाह (म0प्र0 के अधिवासी अभ्यर्थी)	38 वर्ष
7.	पुरूष	अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार (म0प्र0 के अधिवासी अभ्यर्थी)	33+05=38
8.	पुरूष	आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार (म0प्र0 के अधिवासी अभ्यर्थी)	38+05=43

नोट:- सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र.शासन के आदेश क्र. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होंगी ।

ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका में दर्शाए गए हैं।

iii. मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में छूट :-

क."विक्रम पुरस्कार से सम्मानित अभ्यर्थियों के मामले में, आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मानित दंपति के उच्च जाति के पति या पत्नी के मामले में आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी. इस संबंध में विवाह पंजीयनकर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।